sk

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6ए/प्राक्क01–1015/2024– 925 पटना – 15, दिनांक :– 21.5.2

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– राज्य योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत लखीसराय प्रमंडल के औरे ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य हेतु योजना की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार योजना की कुल 36.123 लाख रूपये (छत्तीस लाख बारह हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – राज्य योजना के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत लखीसराय प्रमंडल के औरे ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य हेतु योजना की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार योजना की कुल 36.123 लाख रूपये (छत्तीस लाख बारह हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय अंतर्गत औरे ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में डिस्चार्ज कम होने के कारण एक अदद नये उच्च प्रवाही नल कूप, राईजिंग मेन, 10 अश्वशक्ति का समरसिबुल मोटर पम्प (with 63 KVA Transformer), पम्प गृह एवं 50 लीटर क्षमता का क्लोरीनेटर आदि का निर्माण की आवश्यकता है।

3. उपरोक्त वर्णित योजनाओं के निर्माण से संबंधित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन पर कुल–**36.123 लाख रूपये (छत्तीस लाख बारह हजार तीन सौ रूपये)** मात्र का व्यय संभावित है, जिसका तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत है। प्राक्कलन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है।

4. इसके लिए योजना का निर्माण कार्य आदि बजट शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–102–ग्रामीण जल पूर्ति–उपशीर्ष–0134–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण सात निश्चय–2, विपत्र कोड–36–4215011020134 विषय शीर्ष–0134–53–01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष अंतर्गत भारितत्व्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, लखीसराय होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी लखीसराय कोषागार से की जायेगी/ बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समायावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

9. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/12888/वि0, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

13. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

15. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

16. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी।

17. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्‌व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

अभय 20/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक – 6ए/प्राक्क01–1015/2024– 925 पटना – 15 ,दिनांक :– 20.5.25

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/ कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव (मुख्यालय/ कार्य प्रबंधन)/ प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ बजट पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2, पटना/ कार्यपालक अभियन्ता (मो0–02)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2/ कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–6/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बेगूसराय/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 20/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)